

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला - उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/136

प्रकरण संख्या 94/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू, राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

1. श्री भंवरलाल पुत्र श्री सुखलाल धाकड़ निवासी धाकड़ों का खेड़ा मजरा रामपुरा त.कानोड़।
.....प्राथीगण

बनाम

1. श्री शंकर पुत्र श्री मोती जी धाकड़ निवासी धाकड़ों का खेड़ा मजरा रामपुरा, कानोड़।
2. श्री गोपाल पिता मदनलाल वेद निवासी लूणदा, तहसील कानोड़।
3. श्री भंवरलाल पिता शंकरलाल वेद निवासी लूणदा, तहसील कानोड़।
4. श्रीमती शांताबाई पत्नी मदनलाल वेद निवासी लूणदा, तहसील कानोड़।
5. श्री रतनलाल पिता लच्छमण धाकड़ निवासी धाकड़ों का खेड़ा, तहसील कानोड़।
6. श्री रामेश्वरलाल पिता श्री लच्छमण धाकड़ निवासी धाकड़ों का खेड़ा, तह. कानोड़।
7. श्री औकारसिंह पिता श्री देवीसिंह राजपुत निवासी लूणदा, तहसील कानोड़।
8. श्री उदयलाल पुत्र श्री देवीलाल धाकड़ निवासी धाकड़ों का खेड़ा मजरा रामपुरा, कानोड़।
9. श्री हीरालाल पिता देवीलाल धाकड़ निवासी धाकड़ों का खेड़ा मजरा रामपुरा, कानोड़।
10. श्रीमती अमरतीबाई पुत्री श्रीमती मोड़ीबाई कुम्हार निवासी लूणदा, तहसील कानोड़।
11. श्रीमती तुलसीबाई पुत्री मोड़ीबाई कुम्हार निवासी लूणदा, तहसील कानोड़।
12. वरदीचन्द पुत्र श्रीमती मोड़ीबाई कुम्हार निवासी लूणदा, तहसील कानोड़।
13. श्री सत्यनारायण पुत्र श्रीमती मोड़ीबाई कुम्हार निवासी लूणदा तहसील कानोड़।
14. श्री शंकरलाल पिता श्री बगदीराम कुम्हार निवासी लूणदा तहसील कानोड़।
15. श्री मांगीलाल पिता चम्पालाल धाकड़ निवासी धाकड़ों का खेड़ा मजरा रामपुरा, कानोड़।
16. श्री मोहनलाल पिता श्री चम्पालाल धाकड़ निवासी धाकड़ों का खेड़ा मजरा रामपुरा, कानोड़।
17. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कानोड़ जिला उदयपुर।
.....अप्रार्थीगण



अधिवक्ता प्रार्थी : श्री मुकेश कुमार डांगी

निर्णय

दिनांक : 09.06.2022

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा लूणदा, पटवार हल्का लूणदा भू.

अभिलेख निरीक्षक वृत्त लूणदा, तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत् 2078-

खाता संख्या 146 की आराजी संख्या 1031 रकबा 0.6500 हैक्टेयर, आराजी



उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

संख्या 1345/1051 रकबा 0.2100 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.8600

हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकॉर्ड है जिसमें प्रार्थी के अलावा किसी अन्य का किसी भी प्रकार से कोई हक, हिस्सा, अधिकार एवं अधिपत्य नहीं है।

2. उक्त वर्णित भूमि का आज दिन तक कभी भी सीमांकन नहीं हुआ है एवं न ही पक्की पत्थरगढ़ी हुई है, जिससे आये दिन सीमा संबंधी विवाद पैदा होने की संभावना रहती है। प्रार्थी अपनी खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की भूमि का इस कारण से सही ढंग से विकास भी नहीं कर पा रहा है एवं फसलों को बचाने के लिए भी प्रार्थीगण अपनी इस कृषि भूमि के चारों तरफ तारबन्दी करवाना चाहता है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र विनाय दिनांक 17.04.2022 को पैदा हुआ जब प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी के लिए कहा गया, तो उनके द्वारा सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही के लिए कहा गया।
3. अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की कृषि आराजियात मौजा लूणदा, पटवार हल्का लूणदा भूअमिलेख निरीक्षक वृत्त लूणदा, तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 146 की आराजी संख्या 1031 रकबा 0.6500 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1345/1051 रकबा 0.2100 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.8600 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकॉर्ड है जिसका नियमानुसार सीमांकन कर पक्की पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावें।
4. हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया विपक्षीगण को जरिय सूचना पत्र तलब किया जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 से 16 द्वारा बाद तामिल भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 से 16 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।



उपखण्ड अधिकारी भोण्डर
जिला-उज्जैन (राज.)

5. हमने पत्रावली का अध्ययन किया प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई एक पक्षीय बहस पर मनन किया जिसमें मौजा लूणदा, पटवार हल्का लूणदा भूअभिलेख निरीक्षक वृत्त लूणदा, तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 146 की आराजी संख्या 1031 रकबा 0.6500 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1345/1051 रकबा 0.2100 हैक्टेयर कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.8600 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकॉर्ड है जिसकी पत्थरगढ़ी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कानोड़ को 1000 रूपयें पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिए जाते हैं कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि मौजा लूणदा, पटवार हल्का लूणदा भूअभिलेख निरीक्षक वृत्त लूणदा, तहसील कानोड़ की जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 146 की आराजी संख्या 1031 रकबा 0.6500 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1345/1051 रकबा 0.2100 हैक्टेयर कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.8600 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकॉर्ड है जिसकी पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण तथा सभी सहखातेदारों की उपस्थिति में की जाने के आदेश दिये जाते हैं।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फौशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



(रमेश-सीरवी पुनाड़िया RAS)

उपखण्ड अधिकारी

भीण्डर जिला-उदयपुर(राज.)

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)